

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, कमठाई

प्रकरण सं.:-85/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1142

दिनांक:- 22.5.18


आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सणपा मानजी व भू.अ. नि. होडू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खरंटिया, नया खरंटिया तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत 2072-2075 में खाता संख्या 29 व 25 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खरंटिया	29	187,346/243,	मांगीलाल पुत्र	मांगीलाल उर्फ मांगाराम पुत्र ताजाराम शेष बदुस्तर
2	नया खरंटिया	25	361/271 189/139, 215/111	ताजाराम मांगीलाल पुत्र ताजाराम	



क्रमांक:- लो.अदा./2018/1143-1145


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 22-5-18

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मांगीलाल उर्फ मांगाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी खरंटिया तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी